127

संख्या–2606 /XVIII-(2)/2016-15(58)/2015

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
डी.डी.एम.ए., रूद्रप्रयाग।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1

देहरादून:दिनांक 04 ~~दिसम्बर~~ जनवरी, 2017 2016

विषय:– एस.पी.ए.–आर के अंतर्गत यात्रा मार्ग के स्थान सीतापुर, सोनप्रयाग व गौरीकुण्ड में तीर्थ यात्रियों हेतु 100 नग बायो–डायजेस्टिव शौचालयों हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–515/DDMA/2015-16, दिनांक 18 अक्टूबर, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से डी.डी.एम.ए. रूद्रप्रयाग द्वारा एस.पी.ए.–आर के अंतर्गत प्रोजेक्ट कोड संख्या–12413 के अंतर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड ऊखीमठ यात्रा मार्ग के स्थान सीतापुर, सोनप्रयाग व गौरीकुण्ड में तीर्थ यात्रियों हेतु 100 नग बायो–डायजेस्टिव शौचालयों का निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था सिविल कार्य इकाई, डी.डी.एम.ए., रूद्रप्रयाग द्वारा गठित आगणन ₹ 298.09 लाख की धनराशि टी.ए.सी. से परीक्षणोपरान्त अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एस.पी.ए.–आर के अंतर्गत Construction of 180 units of Bio Digester Toilets along Yatra Route for the Tourists SPA RECONSTRUCTION (2014-15) प्रोजेक्ट कोड संख्या–12413 के कार्यो हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 में ₹ 1000.00 लाख की धनराशि स्वीकृत एवं अवमुक्त की गई है।

3– अतः प्रोजेक्ट कोड संख्या–12413 के अंतर्गत उप परियोजना जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड ऊखीमठ यात्रा मार्ग के स्थान सीतापुर, सोनप्रयाग व गौरीकुण्ड में तीर्थ यात्रियों हेतु 100 नग बायो–डायजेस्टिव शौचालयों का निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था सिविल कार्य इकाई, डी.डी.एम.ए., रूद्रप्रयाग द्वारा गठित आगणन ₹ 298.09 लाख (₹ दो करोड़ अठानवें लाख नौ हजार मात्र) की धनराशि प्रश्नगत परियोजना हेतु आहरित कर व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1. उक्त कार्यो के सम्पादन हेतु शासनादेश संख्या–966/XVIII-(2)/2015-15(15)/2015, दिनांक 06.04.2015 द्वारा निर्धारित शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगी।
2. यह धनराशि आपदा, 2013 से हुई क्षतियों के पुनर्निर्माण के लिये स्वीकृत की जा रही है। अतः किसी भी दशा में जून, 2013 से पूर्व के कार्यो के लिये इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2017 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन तथा नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. यदि उक्त कार्य हेतु पूर्व में कोई धनराशि व्यय की गई है तो उसका समायोजन भी सुनिश्चित किया जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक के लेखाशीर्षक–2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0108–एस.पी.ए./ए.सी.ए. (आपदा, 2013) के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र हेतु अनुदान–24–वृहद् निर्माण कार्य मद के नामें डाला जायेगा।

5– उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26 जुलाई, 2016 में प्राप्त निर्देशों के कम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या–२६०६ (1) /XVIII-(2)/2016-15(58)/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
6. निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
7. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–1 एवं 5, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष बड़ोनी)
उप सचिव